न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. सोहनराम पुत्र दल्लाराम, जाति-चौधरी, निवासी-डाली, तहसील-लूनी, जिला-जोधपुर (एफ.बी.ओ. एवं मालिक)

फर्म:- होटल श्री कन्हैया, एन.एच.62, ग्राम- -उथमण, तहसील- शिवगंज, जिला-सिरोही

2. कैलाश चन्द जैन, जैन निवास, पावटा, ए रोड, कावरा स्कूल के पास, जोधपुर (खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर निर्माता फर्म)

फर्म:- Kankaria Masala Udhyog,
Out Side Siwanchi Gate, Near Bhika Piyau, Jodhpur

प्रकरण संख्या: 06/2020

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी सोहनराम एवं प्रतिवादी कैलाश चन्द जैन

-: निर्णय :- दिनांक 24 फरवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 10.7.2019 को समय 5.30 पी.एम. पर फर्म होटल श्री कन्हैया, एन.एच.62, ग्राम- उथमण, तहसील- शिवगंज, जिला-सिरोही पर पँहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति सोहनराम पुत्र दल्लाराम, जाति- चौधरी, निवासी- डाली, तहसील- लूनी, जिला- जोधपुर है एवं उक्त फर्म होटल श्री कन्हैया पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को बनाकर बेची जाने वाली सब्जी में चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) का उपयोग करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं होटल के अन्दर फ्लोर पर रखे हुये चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) के किलोग्राम के पैकड पैकेट में से चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) को खोलकर अच्छी तरह से हिलामिला कर एक रुप किया एवं इस एक रुप किए हुए चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) एक साफ, सूखे, खाली

....पेज दो पर

भिगाने में खरीदा एवं चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) का कीमत [illegible] रुपये 340/- अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। फार्म संख्या 5ए तैयार किया एवं खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी [illegible] फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त [illegible] फार्म संख्या 5ए मूल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखी प्लास्टिक के कंटेनर दिखाये एवं लेबल तैयार [illegible] कोड एवं क्रमांक S-976, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं मैंने स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रत्येक नमूना कंटेनर पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् खरीदशुदा चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) को चारों खाली प्लास्टिक कंटेनरों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं चारों कंटेनरों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। लेबल को कंटेनर के साथ लगाकर टेप से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के हस्ताक्षरयुक्त पेपर [illegible] कोड व क्रमांक S-976 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग [illegible] से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता [illegible] के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के [illegible] की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की [illegible] खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता साहनराम एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व. स्वंयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क़ार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित कर नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा [illegible] सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां [illegible] लिफाफा [illegible] गोंद से चिपकाई एवं लिफाफा को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.7.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नंबर [illegible] एक सील्ड लिफावा श्री महेन्द्र कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 10.7.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना मय फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से उक्त खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त

....पेज तीन पर

हुई. प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-976 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया [illegible] कारोबारकर्ता सोहनराम एवं निर्माता फर्म को जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई, [illegible] से असन्तुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन सोहनराम एवं निर्माता फर्म ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना [illegible] अपराध होने [illegible] जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही [illegible] आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) का [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 52 के तहत जुर्माना-योग्य अपराध है [illegible] प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 19.2.2020 को प्रतिवादी सोहनराम एवं कैलाश चन्द जैन ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग-अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किये। प्रतिवादी सोहनराम की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 10.7.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने जिस मिर्च पाउडर (कांकरिया [illegible]) का नमूना जांच के लिये लिया था व मैंने बिल द्वारा [illegible] से उपयोग के लिए खरीदा था। बिल मैंने नमूना लेते समय दे दिया था। मैंने [illegible] और इसमें कुछ नहीं मिलाया था। पैकिंग पैकट में नमूना लिया गया था, मुझे इस मुकदमें में [illegible] प्रतिवादी कैलाशचन्द जैन द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया [illegible] कि दिनांक 10.7.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरोही श्री विनोद कुमार [illegible] रेड चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) का नमूना जांच के लिये लिया [illegible] जांच रिपोर्ट के अनुसार मिथ्याछाप पाया गया, वह मेरी फर्म द्वारा निर्मित है। मानवीय भूल के कारण लेबल पर बेच नम्बर, पैकिंग डेट का तारीख अंकित नहीं हो पाई है। मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की गलती दुबारा नहीं करूंगा, कृपया मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावें।

(3) प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 19.2.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को सुनाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन [illegible] में अंकित

....पेज चार पर

तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से [illegible] 5.30 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा [illegible] अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा [illegible] खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म होटल श्री कन्हैया [illegible] उथमण, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पर [illegible] वहाँ उक्त [illegible] श्री कन्हैया के मालिक एवं खाद्यकारोबारकर्ता की हैसियत से सोहनराम [illegible] चौधरी, निवासी- डाली, तहसील- लुनी, जिला- जोधपुर उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल श्री कन्हैया के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) के असुरक्षित होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम - 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता [illegible] को उपस्थित गवाह श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भीव सिंह निवासी- उथमण, [illegible] शिवगंज, जिला- सिरोही एवं श्री जितेन्द्र वैष्णव पुत्र इन्द्रराज वैष्णव, निवासी- [illegible], उथमण, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही के समक्ष प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी [illegible] होटल के अन्दर [illegible] पर रखे हुए खाद्य पदार्थ चिल्ली [illegible] (कांकरिया [illegible] 1 (एक) पैक्ड पैकेट को खोलकर अच्छी तरह से हिलामिला कर [illegible] किया एवं इस एक रूप किये हुए चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) [illegible] चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) को एक साफ, सूखे, खाली [illegible] में [illegible] एवं चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) की कीमत 340/- रुपये अदा की एवं खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता सोहनराम व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ, खाली व सूखे प्लास्टिक जार दिखाये एवं लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-976, दिनांक खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना [illegible] का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता सोहनराम व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा [illegible] किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त चार प्लास्टिक जार [illegible] एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद [illegible] चिल्ली पाउडर [illegible] पांच पर

(कांकरिया ब्राण्ड) को चारों खाली प्लास्टिक जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं जारों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया तथा चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) के लेबल को जार के साथ लगाकर टेप से चिपकाया। फिर चारों नमूना जारों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर [illegible] क्रमांक S-976 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना [illegible] बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग [illegible] खाद्य कारोबारकर्ता [illegible] व उक्त गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये [illegible] आवेदक खाद्य [illegible] हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना [illegible] आवेदक [illegible] कब्जे/जाप्ते में लिया व मौके पर मौका [illegible] तैयार की [illegible] कारोबारकर्ता सोहनराम व उक्त गवाहान तथा आवेदक [illegible] अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा [illegible] के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल [illegible] फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म होटल श्री कन्हैया, एन.एच. 62 ग्राम- उथमण, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता सोहनराम से खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत [illegible] नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त [illegible] (कांकरिया ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर [illegible] फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं [illegible] नमूने के [illegible] में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूने के चारों भागों [illegible] एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों के प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया [illegible] नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.7.2019 [illegible] एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार [illegible] बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग एवं फार्म नम्बर-6 के सील बन्द लिफाफा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 10.7.2019 को ही जमा कराकर [illegible] प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-976 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत [illegible] रिपोर्ट क्रमांक [illegible] 544 [illegible] /2019/599 दिनांक [illegible] 2019 के [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म होटल श्री कन्हैया [illegible] एच.62 ग्राम [illegible] शिवगंज जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता सोहनराम से [illegible] खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) [illegible] नमूना संख्या S-[illegible] खाद्य सुरक्षा एवं

[illegible]

मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के पैकिंग लेबल पर वैध तथ्य निर्माण/पैकिंग की [illegible] FSSAI License Nomber अंकित किये हुए नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक [illegible] दिनांक 29.7.2019 से प्रतिवादी संख्या-1 (सोहनराम) व निर्माता फर्म Kankariya Masala Udyog को उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित गई है किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 (सोहनराम) की उक्त फर्म होटल श्री कन्हैया द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) को फर्म Kankariya Masala Udyog, Out Side Siwanchi Gate Near Bhika Piyau, Jodhpur से बिल/इनवोईस नम्बर 19-20/41 दिनांक 10.7.2019 के द्वारा क्रय किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माता फर्म Kankariya Masala Udyog, Out Side Siwanchi Gate, Near Bhika Piyau, [illegible] मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) [illegible] पैकिंग एवं विक्रय किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम [illegible] की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 [illegible] जुर्माने योग्य अपराध है। ऐसी स्थिति में, मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु उक्त निर्माता फर्म Kankariya Masala Udyog ही मुख्य रुप से दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 1 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत [illegible] निर्माता फर्म Kankariya Masala Udyog, Out Side Siwanchi Gate, Near Bhika Piyau, Jodhpur पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षर रुपये पच्चीस हजार मात्र) का शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। [illegible], उक्त निर्माता [illegible] चन्द जैन, जैन निवास, पावटा, ए रोड, [illegible] स्कूल के [illegible] आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवायें। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 18:00:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: